

# भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

टेली-फैक्स / Tele-fax : 0522-2720634

दूरभाष / Telephone : 0522-2720638, 2306185

ई मेल / E mail : up.gdc.soi@gov.in



निदेशक का कार्यालय / Office of Director  
पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र (उ0क्षेत्र)  
East Uttar Pradesh Geo-spatial Data Centre (NZ)  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग / Survey of India  
मानचित्र भवन / Manচিতra Bhawan  
5, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-226010  
5, Vibhuti Khand, Gomti Nagar, Lucknow-226 010

पत्रांक / Letter No : 3575 / 18-ए-5 (पेंशन अदालत)

दिनांक / Dated : 07-09-2018

## शुद्धि पत्र (Corrigendum)

इस कार्यालय के पत्र सं0 3188/18-ए-5 (पेंशन अदालत) दिनांक 09.08.2018 (कार्यालय आदेश सं0 46 दिनांक 09.08.2018) के अनुक्रम में आठवीं पेंशन अदालत आयोजित होने की तिथि दिनांक 17.09.2018 के स्थान पर दिनांक 18.09.2018 पढ़ी जाए। आठवीं पेंशन अदालत आयोजित होने का समय एवं स्थान पूर्ववत रहेंगे।

(आर0के0 निगम)

निदेशक

पूर्वी उ0प्र0 भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, लखनऊ।

वितरण :-

1. भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून को उनके पत्रांक ब0-5100/1117-पेंशन अदालत दिनांक 24.08.2018 के संदर्भ में सूचनार्थ। (ई-मेल : बजट अनुभाग)
2. अपर महासर्वेक्षक, उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ को सूचनार्थ। (ई-मेल)
3. निदेशक, राष्ट्रीय भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र, देहरादून (ध्यानाकर्षण : वेबसाइट अनुभाग) को ई-मेल द्वारा इस अनुरोध के साथ प्रेषित किया जाता है कि इस पत्र को भारतीय सर्वेक्षण विभाग की वेबसाइट पर दर्शाने की कृपा करें। (स्पीड पोस्ट)
4. वरिष्ठ लेखा अधिकारी, केन्द्रीय वेतन एवं लेखा कार्यालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अदालत की बैठक में भाग लेने हेतु आप स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि की उपस्थिति सुनिश्चित करने की कृपा करें। (ई-मेल)
5. श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उप निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. श्री बाल गोविन्द राम, कार्यालय अध्यक्ष / श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, सहायक / श्री प्रमोद कुमार, सहायक / श्री विद्या प्रसाद पाण्डेय, सहायक / श्री राकेश कुमार अग्रवाल, सहायक को अनुपालन हेतु।
7. समस्त यूनियन/एसोसिएशनों के शाखा सचिव (पू0उ0प्र0 भू-स्था0 आँ0 के0) को सूचनार्थ। उनसे अनुरोध है कि वे अपने स्तर पर पेंशनरों को उक्त बैठक के संबंध में अवगत करा सकते हैं। अदालत वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है। (08 प्रतियों)
8. सूचना पटल।